



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15464

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 567 वर्ष 2026

शिव शंकरयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: शिव दत्ता यादव, सीता राम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. ग्राम सभा द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण एवं भूमि अधिकार अधिनियम, 1950 की धारा 122-बी के तहत शुरू की गई कार्यवाही में, जो केस संख्या 203/80/301/2000/05 के रूप में पंजीकृत थी, 13.04.2005 को याचिकाकर्ता को संबंधित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त समय सीमा समाप्त होने के कारण याचिकाकर्ता ने अपील संख्या 641/2025 (कंप्यूटर केस संख्या 0202502250000641) दायर की। याचिकाकर्ता ने कलेक्टर, फतेहपुर/प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष धारा 67 (5) उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत अपील दायर की। राजस्व संहिता, 2006 के तहत मई 2025 में विलंब की माफी हेतु आवेदन सहित। उपरोक्त अपील प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा विलंब तथा गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दी गई। उपरोक्त से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।

2. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

3. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 13.04.2025 को पारित आदेश के अवलोकन से न्यायालय की राय है कि उपरोक्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और इस न्यायालय द्वारा ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रदेश राज्य और अन्य (2023 (1) एडब्ल्यूसी 4 में प्रकाशित) मामले में निर्धारित कानून का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है। इसके अलावा, जब विलंब क्षमादान के आवेदन के साथ अपील दायर की गई थी, तब अपीलीय प्राधिकारी विलंब के आधार पर अपील को खारिज करने या विलंब क्षमा करने के बाद अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन वर्तमान मामले में अपील का निर्णय विलंब और गुण-दोष दोनों के आधार पर एक ही आदेश द्वारा किया गया। आंशिकताओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील दायर करने में काफी विलंब हुआ है। अपील वैधानिक प्रकृति की थी। यह स्थापित कानून है कि वैधानिक अपील दायर होने की स्थिति में, अपीलीय प्राधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह कारण सहित उस पर निर्णय दे।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए और न्याय के हित में, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पक्ष में 2,000/- रुपये का खर्च जमा करे और प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत करे। यदि ऐसा है, तो प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह अपील दायर करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर विधिवत रूप से निर्णय ले।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"